संख्या-33/2024/001-507-22-4-2024-313334

प्रेषक,

कृष्ण कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 23 जुलाई, 2024

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनपद बरेली की पुरानी जिला कारागार को फिर से चालू किये जाने हेतु पुराने भवनों की मरम्मत एवं निर्माण कार्य की निरन्तरता बनाये रखने हेतु तृतीय किश्त तक की अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-14430/नम-2/पुरानी जि0का0, बरेली/2024, दिनांक- 29-05-2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- जनपद बरेली की पुरानी जिला कारागार को फिर से चालू किये जाने हेतु पुराने भवनों की मरम्मत एवं निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में शासनादेश संख्या-3/2023/36/001-22-4-2023-5रिट-2018, दिनांक 16.01.2023 द्वारा परियोजना लागत की धनराशि रू0 17215.41 लाख (वर्तमान जी०एस०टी० 18 प्रतिशत) की प्रशासकीय स्वीकृति सहित धनराशि रू0 2000.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी।

शासनादेश संख्या-55/2023/789/001-22-4-2023-313334, दिनांक 27.09.2023 द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष परियोजना हेतु द्वितीय किश्त तक की धनराशि **रू0 6606.00 लाख** की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी एवं शासनादेश संख्या-17/2024/001-140-22-4-2024-313334, दिनांक 22-2-2024 द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में द्वितीय किश्त तक की अवशेष धनराशि रू0 3444.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 921.123 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी। इस प्रकार कुल धनराशि रू0 9527.123 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में पुरानी जिला कारागार, बरेली को फिर से चालू किये जाने हेतु पुराने भवनों की मरम्मत एवं नवीन निर्माण कराये जाने हेतु तृतीय किश्त तक की धनराशि **रू0 6827.00 लाख (रूपया अड़सठ करोड़ सत्ताइस लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा ।

(2) इस सम्बन्ध में परियोजना हेतु मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या- 3/2023/36/001-22-4-2023-5रिट-2018, दिनांक 16.01.2023 में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(3) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य / मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य / मद में किया जाएगा।

(4) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जाएगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपभोग दिनाँक 31.03.2025 तक कर लिया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 68,27,00,000 (रुपये अड़सठ करोड़ सत्ताईस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 025 **लेखा शीर्षक** 4070008000800 कारागारों का निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

कृष्ण कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-33/2024/001-507-22-4-2024-313334, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
(2) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
(4) मुख्य अभियन्ता (भवन) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
(5) मुख्य अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई, लोक निर्माण विभाग, मेरठ।
(6) जिलाधिकारी, बरेली।
(7) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(8) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(9) मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार बरेली।
(10) निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(11) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(12) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(13) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।